राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या :– 10/2017.....जिला.....जयपुर

उनवान – मै0 किशन एक्सट्रक्शन लि0, जयपुर बनाम (1)सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी ,प्रतिकरापंचन,जोन–प्रथम, जयपुर (2) अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम,वाणिज्यिक कर, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.04.2017	**एकलपीठ** **श्री खेमराज, अध्यक्ष** प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा)द्वारा रा.वि.अ.,1994 की धारा 78(5) सपठित रा.मू.प.कर अधिनियम,2003 की धारा 76(6) के तहत् दिनांक 29.9.2016 को आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध शास्ति रू0 1,47,915/–, लौटाया गया ब्याज रू0 15,840/–व मांग पर आरोपित ब्याज रू0 3,43,902/– कुल कुल रू0 5,07,657/– आरोपित किया। उक्त कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.09.2016 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के समक्ष धारा 38(4) के तहत अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 13.12.2016 द्वारा पर आरोपित ब्याज रू0 3,43,902/–की वसूली स्थगित करते हुए, शेष राशि पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी द्वारा शास्ति राशि रू0 1,47,915/–तथा लौटाया गया ब्याज रू0 15,840/– कुल रू0 1,63,755/–को स्थगित करने को चुनौती दी गयी है। अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना पत्र के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री रमेश गुप्ता ने बहस के दौरान तर्क दिया कि वक्त परिवहन माल के साथ संलग्न एसटी–18ए के समस्त कॉलम भरे हुए थे, भूलवश बिल दिनांक अंकित होने से छूट गयी। दिनांक का कॉलम खाली छूट जाने के कारण मांग राशि का आरोपण किया जाना विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आलोक में विधिसम्मत नहीं है। मूल आदेश दिनांक 26.04.2000 जिसमें शास्ति रू0 1,47,915/– का आरोपण किया गया था। उक्त शास्ति आरोपण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय कर बोर्ड द्वारा अपास्त किया जा चुका था इसलिए इस अवधि में मांग राशि ही अस्तित्व में नहीं थी, ओर विभाग ने स्वयं ही अपीलार्थी द्वारा जमा करायी गयी राशि को अपील आदेश के अनुसरण में मय ब्याज लौटाया गया है। उनका निवेदन था कि शास्ति रू0 1,47,915 व ब्याज रू0 15,840/– कुल रू0 1,63,755/– की वसूली पर भी रोक स्वीकार की जावे। राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री एन.के.बैद ने सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए, रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। सशक्त अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होने से वसूली योग्य बकाया मांग राशि रूपये 1,63,755/– का स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है । निर्णय सुनया गया। (खेमराज)	